राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdadmn.cce@gmail.com Ph.: 0141-2702247

क्रमांक : एफ.1(सम्पर्क)/प्रशा./आकाशि/2021/3725 दिनांक : 09-02-2021

परिपत्र

विषय : वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (एचआरडी/आयोजना/अकादमी/आरवीआरईएस/ निजी संस्था/रूसा) के स्तर–3 के पदाधिकारी, प्रत्येक महाविद्यालय के स्तर–1 के पदाधिकारी व समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर–2 के पदाधिकारी द्वारा स्वयं की Activated SSO-ID (16 अंक) से विभागीय सम्पर्क पोर्टल के अन्तर्गत मैपिंग कराने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित परिपत्र के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि CM Helpline पर परिवेदना–ग्रीवन्स–निस्तारण की कार्यवाही करने हेतु विभागीय SAMPARK PORTAL Dashboard पर महाविद्यालय मैपिंग प्राचार्य द्वारा व्यक्तिशः सुनिश्चित की जाये। समस्त प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय को पोर्टल पर प्रदर्शित कराने के उद्देश्य से अपनी निजी SSO-ID का Activation अपने स्तर से अविलम्ब करावें। Employee-ID (16 अंक) का SSO-ID के रूप में Activation अपने स्तर से सुनिश्चित करें। तदुपरान्त महाविद्यालयवार मैपिंग की कार्यवाही विभाग के स्तर पर संभव हो सकेगी।

- सम्पर्क पोर्टल के विभागीय Dashboard पर अनिवार्यतः एक SSO-ID केवल एक बार ही मैप की जा सकती है, अतः प्राचार्यों द्वारा पोर्टल संचालन हेतु SSO-ID मैपिंग अत्यावश्यक है।
- प्रत्येक महाविद्यालय के सम्पर्क पोर्टल Dashboard पर प्राप्त परिवेदनाओं के अविलम्ब निस्तारण के लिए स्थानान्तरण पर समस्त नव पदस्थापित संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक–क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्राचार्य अपनी Activated SSO-ID मैपिंग हेतु दिनांक 15–02–2021 तक प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।
- ज्ञातव्य रहे की प्राचार्य पद रिक्त होने/सेवानिवृत्त होने पर उपाचार्य अथवा कार्यवाहक प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के सम्पर्क पोर्टल पर मुख्यमंत्री हेल्पलाईन संचालित होगी।

किसी प्रकार की सूचना Mismatch होने पर सम्पर्क पोर्टल पर परिवेदना–ग्रीवन्स–निस्तारण की कार्यवाही बाधित होगी। अतः इस परिपेक्ष्य में समस्त प्राचार्य अद्यतन मैपिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री हेल्पलाईन का कार्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न करायें।

09/02/2021
(संदेश नायक)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(सम्पर्क)/प्रशा./आकाशि/2021/3725 दिनांक : 09-02-2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (एचआरडी/आयोजना/अकादमी/आरवीआरईएस/निजी संस्था/रूसा), आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय/कन्या महाविद्यालय/राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट/राजस्थान संगीत संस्थान, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय (जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर/ भरतपुर), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
5. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

9.2.2021
(डॉ0 के.एल.सिराधना)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर